मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः 2132 दिनांकः 29-4-13

प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय (समस्त)
संयुक्त निदेशक जोन (समस्त)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– प्रयोगशाला, एक्स–रे, सोनोग्राफी एवं ई.सी.जी. जांच सेवाओं का ओर अधिक सुदृढिकरण करने के संबंध में।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतगर्त चिकित्सालय के प्रयोगशाला, एक्स–रे, सोनोग्राफी एवं ई.सी.जी. जांचों के दौरान प्रारम्भिक चरण में उजागर हुई कमियों के संबंध में निम्न प्रकार से दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

क्र.सं.	प्रमुख समस्याएँ/कमियाँ	सुझाव/ अपेक्षित कार्यवाही
1.	कुछ अस्पतालों में मरीजों के लिए लगाई गई छाया, बैठने की व्यवस्था, पीने के लिए पानी, गर्मी हेतु कूलर/पंखा एवं शौचालय व्यवस्था अपर्याप्त है।	1. छाया की अतिरिक्त व्यवस्था करवायी जा सकती है। 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त चेयर लगाई सकती है। 3. पीने के पानी के लिए मटका/वाटर कूलर मय वाटर प्योरिफायर लगाकर आवश्यकतानुसार व्यवस्था की सकती है। 4. महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालय बनवाये जाये तथा उनकी प्रति–घण्टे साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की सकती है। 5. मरीजों के प्रतीक्षा स्थल पर आवश्यकतानुसार डेजर्ट कूलर एवं पंखे लगाये सकते है।
2.	निःशुल्क जाँच सेवा के अंतर्गत काम के बढते हुए दबाव को देखते हुए वर्तमान कुछ अस्पतालों में स्टाफ की कमी है।	1. लैब हेतु अतिरिक्त लैब टैक्निशियन एवं सहायक लैब टैक्निशियन पूर्व में जारी की गई पॉलिसी एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.03.13 के अनुसार तुरन्त प्रभाव से आवश्यकतानुसार ले लेवे। 2. रेडियोलॉजी विभाग हेतु रेडियोग्राफर एवं सहायक रेडियोग्राफर के लिए पूर्व में जारी की गई पॉलिसी एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.03.13 के अनुसार तुरन्त प्रभाव से आवश्यकतानुसार ले लेवे। 3. लाईन लगवाने मरीजों को बुलाने अथवा करीने से बिठवाने के लिए अतिरिक्त गार्ड/हैल्पर आवश्यकतानुसार ले लेवे। 4. शौचालय की सफाई, सेम्पलिंग स्थल की सफाई हेतु आवश्यकतानुसार क्लीनर/सफाईकर्मी ले लेवे। 5. ओपीडी मरीजों को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त हेल्पर/वार्ड ब्वॉय ले लेवें। 6. भर्ती मरीजों के सेम्पल लेने की व्यवस्था नर्सिंग स्टॉफ द्वारा वार्ड में ही करवायी जाये तथा लिए गये सेम्पल को किसी वार्ड ब्वॉय/हेल्पर आदि के साथ लेबल चिपकाकर सुरक्षित रूप से लैब में भिजवाने की व्यवस्था करवाये। भर्ती मरीज या अटेण्डेण्ट के साथ सेम्पल नही भेंजे। 7. रजिस्ट्रेशन एवं रिपोर्ट वितरण काउण्टर पर कार्य को त्वरित गति से करने के लिए अतिरिक्त काउण्टर खोले एवं अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ले लिए जा सकते है।
3.	कुछ अस्पतालों में सोनोग्राफी एवं एक्स–रे विभाग में अतिरिक्त दबाव है तथा प्रतीक्षा समय बहुत अधिक है।	रेडियोलॉजी विभाग की कार्यक्षमता बढाने के लिए:– 1. अतिरिक्त सोनोग्राफी एवं एक्स–रे सेटअप की बैकअप व्यवस्था रखी जावे। 2. यू.एस.जी. में पैरामेडिकल स्टॉफ/सहायक कर्मचारी/महिला सहायक कर्मचारी जो कि सोनोग्राफी के काम में मरीज को लिटाने, ब्लेडर फुल करने आदि के बारे में समझाने, उचित व्यवस्था बनाने में सहयोग करेगा तथा मरीजों को क्रमवार तरीके से सोनोग्राफी टेबल पर लिटाने तक की सभी पूर्व व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा।

		3. गर्भवती महिलाओं के सोनोग्राफी में भरे जाने वाले फार्म एफ को भरने के लिए अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करें। 4. एक्स–रे विभाग में पैरामेडिकल/सहायक कर्मचारी ले लेवे जो कि एक्स–रे फिल्म को लाने ले जाने, डेवलप करवाने एवं मरीज को निर्देशित करने एवं सभी अन्य व्यवस्था करने के लिए रेडियोग्राफर की मदद करेगा।
4.	मरीजों, विभाग के कर्मचारियों तथा उच्च अधिकारियों में सूचना के लिए कम्यूनिकेशन गैप है।	1. ऑन–लाईन, जांचों की संख्या, जांचो की रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी इन्टरनेट के माध्यम से शेयर कर के एस.एम.एस. अस्पताल की भांति लागू की जावे। 2. नित होने वाली जांचो की संख्या सूचीवार करके एक्सल फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी में जांच योजना की सेल में भिजवायी जाये। 3. किसी भी क्षण कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर विभाग प्रभारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/इन्चार्ज अपनी जिम्मेदारी समझें तथा कमी को दुरुस्त करवाते हुए समस्त सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित करे।
5.	काउण्टर पर मरीजों की कतार अव्यस्थित एवं लम्बी होने के कारण समय की बर्बादी एवं परेशानी का सामना करना पडता है।	1. मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउण्टर पर टोकन व्यवस्था की जानी चाहिए। 2. गार्ड को निर्देशित किया जाये कि वो टोकन में आये नम्बर के अनुसार मरीजों को बारी–बारी से प्रवेश करवायें। 3. सभी मरीजों की पर्ची एक ही काउण्टर पर एक साथ ली जा सकती है तथा अन्दर बैठे कर्मचारियों से उसकी पर्ची कटाकर गार्ड को दे दी जाये तथा गार्ड संबंधित मरीज को बुलाकर सेम्पल एकत्रित कर्ता के पास पहुचावें। 4. टोकन व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रोनिक डिस्पले लगाया जाये। जिससे मरीज अपने नम्बर को डिस्पले पर देखकर तुरन्त सेम्पल हेतु सॅम्पर्क कर लेवे।
6.	एम.एल.सी एवं मेडिकल बोर्ड वाले एक्स–रे एवं जांचों के संबंध में स्थिति अस्पष्ट है।	1. सभी प्रकार के एक्स–रे एवं सभी जांचे जो निःशुल्क जांच योजना में घोषित है को निःशुल्क किया जाये।

प्रमुख शासन सचिव
चि0 स्वा0 एवं चि0 शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आरएमएससी/एमएनजेवाई/13/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लिखें कि इसको विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा समस्त को Email कराये।

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
राजस्थान, जयपुर